



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/783

05.01.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: द्वितीय भारत-ईएफटीए (टीईपीए) के तहत टैरिफ रियायतों की किश्त

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से आयात के लिए शुल्क रियायतों की दूसरी किश्त अधिसूचित कर दी है।

टीईपीए भारत और चार देशों के व्यापारिक समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच एक व्यापार समझौता है। भारत की टैरिफ रियायतों का पहला चरण 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हुआ।

उत्पाद के अनुसार, टैरिफ रियायतों की दूसरी किश्त के तहत, EFTA देशों से भारत को मिलने वाले तरजीही आयात शुल्क की जानकारी निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है:

आइसलैंड से आयात:

<https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010531/ENG/Notifications>

नॉर्वे से आयात:

<https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010530/ENG/Notifications>

स्विट्जरलैंड से आयात:

<https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010529/ENG/Notifications>

सदस्यगण ध्यान दें कि आयात शुल्क में छूट की दूसरी किश्त 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल